भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5298

उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

एमएसएमई निर्यातकों को सहायता

5298. डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वैश्विक व्यापार चुनौतियों का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, विनियामक राहत अथवा व्यापार सुविधा सहित उनकी सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय शुरू किए गए हैं;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए कोई समर्पित निर्यात संवर्धन पहल कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या छोटे व्यवसायों के लिए निर्यात वित्तपोषण, ऋण गारंटी और प्रलेखन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एमएसएमई निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म या तकनीकी सहायता कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित उद्यमों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने अपने फील्ड कार्यालयों नामतः एमएसएमई विकास कार्यालय, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और एमएसएमई परीक्षण केंद्रों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके निर्यात संवर्धन की दिशा में एक सहायता प्रणाली विकसित की है। ये ईएफसी एमएसएमई को दस्तावेजीकरण, बाजार पहुंच, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करके एमएसएमई का पथ-प्रदर्शन सहायता करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का भी कार्यान्वयन करता है, जो प्रथम बार के निर्यातकों (सीबीएफटीई) के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। सीबीएफटीई के अंतर्गत, नए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी) में लगाने वाली लागत हेतु निर्यात बीमा प्रीमियम तथा निर्यात हेतु परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। (ii) आईसी स्कीम का बाजार विकास सहायता (एमडीए) घटक, विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उद्यम आदि के उद्देश्य से भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्रदान करता है।

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, तीन उप स्कीमों अर्थात एमएसएमई-सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और एमएसएमई-इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों और क्रियाकलापों के साथ एकीकृत करने, तालमेल बनाने और अभिसरण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।

एमएसएमई को वैश्विक रूप से अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई अन्य पहलों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्कीमें जैसे निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) शामिल हैं, जो प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों आदि में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है। निर्यात हब के रूप में जिले जैसी पहलें निर्यात क्षमता की पहचान करती हैं, बाधाओं का समाधान करती हैं तथा स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करती है। ट्रेड-कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता प्लेटफॉर्म है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए विस्तृत सेवाएं प्रदान करता है।

(घ) एवं (ङ): एमएसएमई को वैश्विक बाजार तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) एमएसएमई मंत्रालय ने 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना करके निर्यात संवर्धन के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली स्थापित की है। ये ईएफसी विभिन्न स्कीमों पर सूचना का प्रसार करके एमएसएमई की सहायता करते हैं तथा उनके निर्यातों को बढ़ाने, उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों आदि पर ऋण प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी, नए फिनटेक स्टार्ट-अप आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ने में एमएसएमई की सहायता करते हैं।

(ii) एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम का उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार और ऋण तक पहुंच बढ़ाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना है।

(iii) ट्रेड-कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता प्लेटफॉर्म है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए विस्तृत सेवाएं प्रदान करता है।

*****